लेकिन उसका इम्पलीमेंटेशन आज तक नहीं किया। मैं यह यकीन दिलाता हूं कि नेक्स्ट टाइम जब हम पावर में आएंगे तो इस एनोमली को यकीनी तौर पर दूर करेंगे।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस समय सदन में यहां एक राज्य मंत्री उपस्थित है। राज्य सभा से केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में पांच सदस्य हैं—श्री मनमोहन सिंह, श्री एस० बी० चव्हाण, श्री गुलाम नबी आजाद, श्री माखन लाल फोतेदार और श्री सीताराम केसरी जी और तीन पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं श्री गुलाम नबी आजाद, श्री एम० एम० जैकब और श्री कुमारमंगलम् जी हैं मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्य सभा को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिये। मैं इस बात से अवगत हूं कि अगर कोई एक मंत्री भी उपस्थित है तो भी राज्य सभा का काम चल सकता है लेकिन मैं इसे सदन की उपेक्षा समझता हूं। इसलिए आप इस बात की व्यवस्था करें कि कम से कम यहां पर जब तक राज्य सभा की कार्यवाही चले एक केबीनेट स्तर का मंत्री उपस्थित रहे।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह): देखिये, मालवीय जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, इसके बारे में पहले भी कई बार बात चल चुकी है। राज्य मंत्री पोटदुखे जी यहां पर उपस्थित है, निश्चित रूप से सदन की कार्यवाही चलेगी। लेकिन मंत्रिगण यहां उपस्थित रहें इसके लिए मैं चाहूंगा कि सरकार तक यह बात पहुंच जानी चाहिये। इससे कार्य में सुविधा होती है।

श्री मोहम्मद अमीन (पश्चिमी बंगाल) मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि गजराल कमेटी की रिपोर्ट का मैंने पढ़ा है। यह रिपोर्ट और सिफारिशात मौजूदा हालात को मद्दे नजर रखते हुए की गई हैं। यह कम से कम है जो उर्दू के लिए किया जाना चाहिये। इसके इलावा इस काम में मरकजी और रियासती हकूमतों दोनों के ताव्वन की जरूरत है। इसलिए एक दूसरे पर इल्जाम लगाना मुनासिब नहीं होगा। मेरे ख्याल में कोई भी सियासी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने गुजराल कमेटी की सिफारिशात की मुखालफत की हो चुनांचे जब इत्तेफाकेराय है तो उस काम के ऊपर अमल दरामद करने में देर नहीं होनी चाहिये।

Smuggling of arms through the West Coast for terrorists activties in Punjab and Jammu and Kashmir

SHRI O. RAJGOPAL (Madhya Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to invite the attention of this august House, and through this House, the attention of the Government of India, to the serious problem of smuggling of arms through the West Coast, particularly, through the Kerala and Karnataka coasts. Ever since the border areas of Rajasthan and Gujarat have been effectively sealed, we find that the smugglers are using the coastal areas of Karnataka and Kerala for bringing in contraband goods. Traditionally, they have been smuggling gold, silver and electronic goods. Now-a-days, it is found that they are bringing in arms also. There was general suspicion so far—there were some reports also in the papers—but recently when one famous smuggler, Abdul Khader was arrested and detained under COFEPOSA, he has confessed that he had been regularly smuggling arms through this Mangalore-Malabar area. He has confessed that in het course of one month he had 12 landings and he managed these landings by bringing Customs by paying Rs. 2 lakhs per landing and he also managed to see that the police did not interfere in the matter.

After that, according to his confession, these arms are taken to Kerala and from Kerala they are transported to Punjab and Kashmir. This is his own confession that he had been doing this in the last so many months.

This is a very serious matter. It has been published in 'Indian Express' and other papers. Unfortunately, it has not been given sufficient importance. Recently, there have been cases in Kerala where arms have been found from some religious places also. Not only guns but bombs also have been found from some religious places. They have been caught by the police. It is a very serious matter which may affect the security of the nation.

Therefore, my submission is that the Government of India should take certain concrete steps in the matter to see that the smuggling activity is effectively curbed. I would suggest that the Coast Guard be strengthened. Secondly, incorruptible officers should be posted in sensitive areas and those officials who are found hand in glove with the smugglers should be taken to task. Strict vigil should be kept on the known smugglers. Some of them are in their list. Strict vigil should be kept on them. Then, stock-piling of weapons, wherever it is, even if it is a place of worship, should be unearthed. Then, the Karnataka Government should be asked to give explanation regarding the role of the State police in enabling the smugglers to carry on with the smuggling activities. There should be better co-ordination between the Centre and State agencies. There should be a serious effort on the part of the Government to plug the loopholes in the interest of the country.

Non-Establishment of the proposed Electronic Telephone Exchange at Bulandshahr (U.P.)

चौधरी हरि सिंह (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, बुलंदशहर नगर के लिए कई साल पहले इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज टेलीफोन का बनाना तय हुआ था और लाखों रुपये लगाकर उसकी बिल्डिंग बन गयी। लगभग करोड़ों रुपये की जो इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज की मशीनें हैं वे आ गयीं और उसमें इस्टेब्लिश हो गयीं। सारे शहर और तहसील के अंदर इलेक्ट्रानिक टेलीफोन होने का काम शुरू हो गया। खुदाई भी शुरू हो गयी। टेलीफोन की लाइनें बिछनी शुरू हो गयी। लेकिन अफसोस यह है कि बुलंदशहर में जहां बिल्डिंग तैयार थी, मशीन लग गयी थी, जहां पर टेलीफोन के लिए सारा रुपया स्वीकार किया गया था, वहां पर इलेक्ट्रानिक टेलीफोन बनाना तय कर दिया गया था, नगर के लोग बहुत खुश थे, वहां से सारी मशीनें उठा करके गाजियाबाद और नोइडा में लाकर लगा दी गयी। लाखों रुपये की जो बिल्डिंग बनी है वह खाली पड़ी हुई है। मशीनों को उठवाकर दूसरी जगह लगा दिया गया है। जहां के लिए यह योजना थी, रुपया मंजूर करवाया गया था, बहुत प्रयत्न करके, कोशिश करके रुपया मंजूर करवाया गया था उस बुलंदशहर में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन हुए नहीं। वहां की सारी चीजें उठाकर दूसरी जगह के लिए जाई गयीं। यह वहां के नगर की जनता के लिए बड़ा अन्याय है। दूसरी तरफ यह है कि वहां पर जो टेलीफोन हैं वे बिल्कुल डेड पड़े रहते हैं, कोई काम नहीं होता है और बिना सर्विस किये हुए उनसे पैसा वसूल लेते हैं। उनका टैक्स लगता है। तनख्वाह उनको जाती है। टेलीफोन आपरेटर बैठे रहते हैं। वह एक्सचेंज काम ही नहीं कर पाता है। सारा कामकाज व्यापार सब टेलीफोन द्वारा जो होने वाला है, वहां पर ठप्प पड़ा हुआ है। इससे वहां के नागरिकों को बड़ी तकलीफ है और ये जो मशीनें उठवाकर ले आए हैं यह बहुत अन्याय किया गया है। यही कहीं पर नहीं होता है और यह किसके आर्डर और कैसे हुआ, इसकी जांच करवाया जाना जरूरी है।

आखिर जहां के लिये स्कीम मंजूर की गई, जहां यह सब स्थापित हो गया